राजकीय महाविद्यालय नौरा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के छात्र निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 2007–08 से 2012–13 तक

भाग–एक

1 **प्रारम्भिकः–**

प्रधान सचिव (उच्च शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या EDN-A-KHA(7)-5/2006 दिनांक 6.2.2007 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2007–08 से राजकीय महाविद्यालय नौरा में कक्षाएं प्रारम्भ की गई। महाविद्यालय के छात्र निधि लेखों का यह प्रथम अंकेक्षण है।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधानाचार्यों/प्राचार्यो द्वारा आहरण एव वितरण अधिकारी के रूप में कार्य कियाः–

क्र0सं0	नाम व पदानाम	अवधि
1	डा0 अजय लखनपाल (प्रधानाचार्य)	21.6.07 से 16.4.2008
2	डा0 सतीश चन्द्र शर्मा (प्रधानाचार्य)	21.4.08 से 1.5.2010
3	डा0 शशी भूषण शेखरी (प्रधानाचार्य)	28.5.10 से 4.6.11
4	डा0 अनिल जरियाल (प्राचार्य)	5.6.11 से 31.8.11
5	डात्र अरविन्द पठानिया (प्रधानाचार्य)	1.9.11 से लगातार

भाग–दो

2 **वर्तमान अंकेक्षणः–**

महाविद्यालय के वर्तमान छात्र निधि लेखों (अवधि 4/2007 से 3/2013) का अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये है, श्री राजवीर सिंह, (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनांक 16.5.13 से 27.6.13 तक के दौरान नौरा में किया गया। विस्तृत जॉच हेतु निम्नविवरणानुसार मासों का चयन किया गयाः–

वर्ष	चयनित माह (आय)	चयनित माह (व्यय)
2007—'08	7/2007	10/2007
2008—09	12/2008	3/2009
2009—10	12/2009	3/2010
2010—11	10/2010	3/2011
2011—12	6/2011	3/2012
2012—13	6/2012	3/2013

अंकेक्षण प्रतिवेदन को महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है। विभाग की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जॉच हेतु चयनित महीनों तक ही सीमित है।

3 **अंकेक्षण शुल्कः—**

महाविद्यालय के छात्र निधि लेखों का अंकेक्षण शुल्क वार्षिक प्राप्तियों के आधार पर ₹27000/—आंका गया, जिसकी गणना से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार से हैः—

वर्ष	निधियों से सम्बन्धित प्राप्तियां	संचायिका से प्राप्तियां	कुल प्राप्तियॉ ₹ में	अंकेक्षण शुल्क ₹ में
2007—08	30120	1060	31180	4000
2008—09	60876	1360	62236	4000
2009—10	94270	—	94270	4000
2010—11	159742	—	159742	4000
2011—12	201304	—	201304	7000
2012—13	133673	—	133673	4000
			कुल अंकेक्षण शुल्क	**₹27000**

उपरोक्त वर्णित राशि ₹27000/—को राजकीय कोष मे जमा करवाने हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य से अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर0एस0 61 दिनांक 24.6.13 द्वारा अनुरोध किया गया जिसे के0सी0सी0 बैंक शाखा धारा के बैंक ड्राफ्ट संख्या 588791 दिनांक 28.6.13 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को प्रेषित कर दिया गया।

4 वित्तीय स्थितिः—

महाविद्यालय के छात्र निधि लेखों की वित्तीय स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "A" (पृ0 1 से 7 तक) में दिया गया है।

5 निवेशः—

अभिलेख अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित राशि शून्य थी।

6 रसीदों से प्राप्त ₹70/— को बैंक में जमा न करनाः—

अभिलेख की जांच में यह पाया गया कि कुछ एक रसीदों की प्रविष्टि न तो निधि उगाही रजिस्टर रोकड़ वही में की गई तथा न ही उक्त रसीदों के अन्तर्गत प्राप्त राशि को बैंक में जमा करवाया गया था। कम जमा राशि का वर्णन निम्न प्रकार से हैः—

माह	रसीद सं0	राशि (₹)
सितम्बर 2008	1042	10
	1043	10
	1044	10
अक्तूबर 2008	1090	10
	1091	10
	1092	10
	1093	10
	कुल योग	₹70

अतः उपरोक्त रसीदों की प्रविष्टि संग्रह निधि रजिस्टर में न करने व प्राप्त राशि का बैंक में जमा न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा ₹70/– की वसूली चूककर्ताओं से करके सम्बन्धित छात्र निधि में जमा की जानी सुनिश्चित की जाये।

7 **₹3870/– की राशि कम्पयूटर प्रैक्टिकल (गणित) निधि के रूप में कम वसूली करनाः–**

हिमाचल प्रदेश सरकार के पंत्राक संख्या ई0डी0एन0–ए–ख (8) (2001) दिनांक 1.6.10 के अन्तर्गत वर्ष 2010–2011 से कम्पयूटर प्रैक्टिकल निधि (गणित) को शुरू किया गया है। जांच के दौरान यह पाया गया कि कॉलेज प्रशासन द्वारा उपरोक्त छात्र निधि की वसूली गणित विषय के छात्रों से पूर्ण रूप से नहीं की गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	गणित विषय के छात्रों की संख्या (BA-I, II, III)	दर (प्रतिवर्ष) (₹)	आपेक्षित राशि (₹)	वसूली गई राशि (₹)	कम वसूली गई राशि (₹)
2010–11	15	180	2700	720	1980
2011–12	08	180	1440	450	990
2012–13	08	180	1440	540	900
	कुल योग		5580	1710	3870

अतः उपरोक्त वर्णित राशि को वसूल न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व ₹3870/– की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवाई जाये व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

8 **अनाधिकृत रूप में छात्र निधियों की वसूली करनाः–**

अभिलेख की जांच में यह पाया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित निधियों के अतिरिक्त भी कॉलेज प्रशासन द्वारा कुछ एक छात्र निधियों की वसूली छात्रों से की गई थी जिनका दिनांक 31.3.13 तक कुल अन्तशेष ₹14038/– था जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	निधि का नाम	31.3.13 अन्तिम शेष
1	स्टूडेन्ट काउन्सिल फीस	530
2	गार्डन फंड	2060
3	सब सोसाईटी फंड	3730
4	एस0सी0ए0 फंड	7718
	योग	**14038**

अतः अनाधिकृत रूप में छात्र निधियों की वसूली करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा उपरोक्त निधियों के खाते में जमा कुल राशि को नियमानुसार सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेकर राशि अन्य छात्र निधियों में हस्तांतरित किया जाये।

9 बैंक से प्राप्त ब्याज को मिश्रित निधि में जमा करनाः–

अभिलेख की जांच में यह पाया गया कि यद्यपि छात्र निधियों का रख–रखाव, संकलित रूप में न करके, अलग–अलग रूप में किया जा रहा है परन्तु कुछ एक निधियों से प्राप्त आय को संकलित रूप में एक ही बैंक खाता संख्या 20049039501 के0सी0सी0 शाखा धीरा में जमा किया गया व तदानुसार ही भुगतान भी किये गये तथा उपरोक्त खाता संख्या से प्राप्त समस्त ब्याज को अलग–2 सम्बन्धित निधियों में अनुपातिक रूप में न बांटकर, समस्त ब्याज को मिश्रित निधि में ही जमा किया गया जोकि अनियमित है। अतः कॉलेज प्रशासन को यह परामर्श दिया जाता है कि अलग–2 छात्र निधियों हेतु, अन्तशेष के अनुसार अनुपातिक आधार पर ब्याज आबंटित किया जाए। ताकि सम्बन्धित निधि के ब्याज को सम्बन्धित निधि में ही जमा किया जा सके।

10 पुस्तकालय प्रतिभूति निधिः–

जांच में यह पाया गया कि दिनांक 31.3.13 तक पुस्तकालय प्रतिभूति निधि में ₹47121/–शेष जमा थे, जिसमें अधिकांश कालातीत प्रतिभूतियों की राशियां है। अतः यह परामर्श दिया जाता है कि इन कालातीत राशियों की आवश्यक जांच पड़ताल उपरान्त इन राशियों को नियमानुसार उचित उपयोग करते हुए छात्रों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु दर्शाये गये उद्देश्यों पर प्रयोग में लाया जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

11 सम्बन्धित निधि से भुगतान न करके अन्य निधि से भुगतान करनाः–

चयनित महीनों के भुगतान वाऊचरों की जांच में यह पाया गया कि कुछ एक प्रकरणों में भुगतान की गई राशि को सम्बन्धित निधि में बुक न करके अन्य छात्र निधि में बुक किया गया था जिससे निधियों की सही वित्तीय स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती जिसका वर्णन निम्न प्रकार से हैः–

वा0सं0 एवं दिनांक	भुगतान की गई राशि	भुगतान का विवरण	जिस निधि से भुगतान किया गया	जिस निधि से भुगतान किया जाना था
10/29.10.07	446	सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु	ए0एफ0	स्टूडेन्ट कल्चरल एक्टिविटी फंड
7/13.10.07	260	पहचान पत्र की खरीद हेतु (मै0 इम्पिरयल प्रिंटिंग प्रैस धर्मशाला)	ए0एफ0	पहचान पत्र निधि
6/31.3.11	1462	पहचान पत्र की खरीद हेतु (मै0 जीनेका ग्राफिक्स पालमपुर)	ए0एफ0	पहचान पत्र निधि

अतः संस्था स्तर पर इस तरह के समस्त प्रकरणों की छानबीन की जाये व निधि से भुगतान की गई राशियों की प्रतिपूर्ति उचित निधि/स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाये।

12 <u>वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह हेतु किताबों की खरीद बारेः–</u>

विभिन्न शैक्षणिक सत्रों के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह हेतु, विभिन्न प्रकार की किताबों की खरीद हेतु निम्न विवरणानुसार आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया गयाः–

वा0सं0 / दिनांक	फर्म का नाम	बिल नं0 / दिनांक	राशि (₹)	निधि
1 से 5 / 12.3.09	मै0 हिन्द बुक डिपो पालमपुर	1702 से 1709 / 25.2.09	4246	ए0एफ0
6 / 12.3.12	मै0 डडवाल स्टेशनर्ज धर्मशाला	1288 से 1292 / शून्य	10310	ए0एफ0
शून्य / 11.3.13	–यथोंपरि–	288 से 291 / 24.2.13	8548	ए0एफ0

उपरोक्त वर्णित बिलों की जांच में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई, जिनका निपटारा करके, किये गये व्यय को उचित ठहराया जायेः–

(i) उपरोक्त वर्णित सामान को कोडल औपचारिकतायें पूरी करते हुये निविदायें इत्यादि आमन्त्रित करके क्रय किया जाना था, परन्तु कॉलेज प्रशासन द्वारा ऐसा नहीं किया गया जिससे बाजार प्रतियोगिता के लाभ से वंचित होना पड़ा। त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेकर की गई अनियमितता का नियमितिकरण करवाया जाये।

(ii) खरीदी गई किताबों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं की गई तथा न ही जिन छात्रों को किताबें पुरस्कार स्वरूप वितरित की गई, उनसे सम्बन्धित विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत करवाया गया, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा आगामी अंकेक्षण पर वांन्छित अभिलेख प्रस्तुत करके किये गये व्यय को उचित ठहराया जाये।

13 <u>₹35960 / – का अनियमित भुगतानः–</u>

चयनित मासों के भुगतान वाऊचरों की जांच में यह पाया गया कि कुछ एक प्रकरणों में कॉलेज प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रकार के सामान की खरीद / सेवाओं की प्राप्ति हेतु विभिन्न फर्मों से जो कोटेशन आमन्त्रित की थी, उनमें से प्राप्त कोटेशन पर न तो फर्म की तरफ

से प्राधिकृत हस्ताक्षर थे, न ही बिक्री कर नं0 अंकित था तथा न ही कोटेशन फर्मों की प्रिंटिंग पैड/बिल पर थी अर्थात साधारण कागज पर विभिन्न मदों की दरों को बिना किसी फर्म के प्राधिकृत हस्ताक्षर के ही, कालेज प्रशासन द्वारा विभिन्न कोटेशन को स्वीकार किया गया तथा तदानुसार विभिन्न मदों की खरीद की गई जिससे यह प्रतीत होता है कि केवल औपचारिकताओं की खानापूर्ति हेतु ही कुटेशन प्राप्त की गई तथा विभिन्न मदों/सेवाओं को बिना किसी प्रतियोगी दरों के ही खरीदा गया जोकि न केवल नियमों के विपरीत है बल्कि इससे विभिन्न छात्र निधियों को वित्तीय हानि भी उठानी पड़ी। कुछ एक प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार से है:—

वा0सं0 तथा दिनांक	जिस फर्म को भुगतान किया गया	राशि (₹)	बिल नं0/दिनांक	मदों/सेवा का विवरण	जिन फर्मों से कोटेशन प्राप्त हुई
3/11.3.11	मै0 क्रिएटिव इण्डस्ट्री पालमपुर	15855	1521—22/19.2.11	मोमेन्टो की खरीद	(i) मै0 क्रिएटिव इण्डस्ट्रीज पालमपुर (ii)एम0के0 इन्टरप्राईज पालमपुर (iii) मिलान ब्रदर पालमपुर
1/2.3.12	मै0 राणा लाईट एण्ड टैन्ट हाऊस नौरा	9470	73/27.2.12	वार्षिक समारोह हेतु सामान को किराये पर लेना	(i) राणा लाईट एण्ड टैन्ट हाऊस, नौरा (ii)शर्मा लाईट एण्ड टैन्ट हाऊस, पुडवा (iii) वालिया

					टैन्ट हाऊस पुड़वा
शून्य / 11.3.13	—यथोपरि—	10635	34 / 24.2.13	—यथेापरि—	—यथेापरि—
	योग	35960			

अतः नियमों की अवहेलना करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व इस तरह के समस्त प्रकरणों की छानबीन संस्था स्तर पर की जाये व की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

14 कॉलेज समारोह में लन्च (दोपहर का खाना) उपलब्ध करवाने बारेः—

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश 1973 खण्ड—II अध्याय 42 के नियम 42.2 (viii) के अनुसार कॉलेज समारोह में अतिथियों एवं पारितोषिक प्राप्त करने वाले छात्रों को जलपान देने का प्रावधान है परन्तु वाऊचर संख्या शून्य दिनांक 11.3.13 की जांच में यह पाया गया कि उपरोक्त नियम के विपरीत कालेज प्रशासन द्वारा जलपान के अतिरिक्त 50 नं0 अतिथियों के लन्च हेतु ₹2500/— का भुगतान श्री ओम प्रकाश चौधरी (कन्टीन संचालक) को मिश्रित निधि में से किया गया। अतः नियमों के विपरीत व्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व इस अनियमित व्यय को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियमित किया जाये अन्यथा अनियमित व्यय की राशि की पूतिपूर्ति/वसूली चूककर्ताओं से करके सम्बन्धित छात्र निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

15 नियमों के विपरीत निधियों को व्यय करने बारेः—

चयनित मासों के भुगतान वाऊचरों की जांच में यह पाया गया कि कुछ एक प्रकरणों मे कॉलेज प्रशासन द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश 1973 खण्ड—II अध्याय 42 के नियमों के विपरीत छात्र निधियों का व्यय किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

वा0सं0 एवं दिनांक	जिसें भुगतान किया गया	बिल नं0 तथा दिनांक	राशि	भुगतान का विवरण	निधि
5/13.10.07	श्री माधो राम कैन्टीन	शून्य/10.9.07	700	सी0एस0सी0ए0 के शपथ समारोह हेतु जलपान	ए0एफ0
4/14.3.11	मै0 श्याम बुक डिपो नौरा मै0 न्यूजल प्रिटिंग प्रैस धीरा	270/19.2.11 45/17.2.11	180 20	वार्षिक रिपोर्ट के प्रिटिंग हेतु भुगतान	ए0एफ0
शून्य/12.3.13	मै0 श्याम बुक डिपो नौरा	80—81/5.3.13	280	कार्यालय प्रयोग हेतु स्टेशनरी की खरीद	ए0एफ0
	योग		**1360**		

अतः नियमो के विपरीत व्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व इस तरह से समस्त प्रकरणों की संस्था स्तर पर छानबीन करने उपरान्त अनियमित व्यय को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियमित किया जाये अन्यथा अनियमित व्यय की राशि की प्रतिपूर्ति/वसूली चूककर्ताओं से करके सम्बन्धित निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

16 **₹6698/— के मूल्य के सामान की खरीद बिना कोटेशन के करने बारेः—**

वाऊचर संख्या शून्य दिनांक 26.3.13 द्वारा मै0 क्रिएटिव इन्डस्ट्रीज पालमपुर को मोमैन्टोज की खरीद हेतु ₹6698/— का भुगतान मिश्रित निधि में से किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

बिल नं0	दिनांक	राशि (₹)
2006	20.2.13	2362
2007	21.2.13	2362
2008	22.2.13	1974
		6698

उपरोक्त बिलों की जांच में निमनलिखित अनियमितताएं पाई गईः—

(i) हिमाचल प्रदेश वित नियमावली 2009 के नियमो के अनुसार ₹3000/— से अधिक की खरीद कोटेशन आमन्त्रित करके की जानी आपेक्षित थी परन्तु कॉलेज प्रशासन द्वारा ₹3000/—की कम राशि के अलग—अलग बिल प्राप्त करके उपरोक्त नियम की अवहेलना की गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये।

(ii) जिन छात्रों को मोमेन्टो वितरित किये गये उनसे सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व आगामी अंकेक्षण पर वांन्छित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

17 ₹3000/— तक के मूल्य के सामान की खरीद बिना कोटेशन के करने पर आवश्यक अभिलेख तैयार न करने बारेः—

हिमाचल प्रदेश वित्त नियमावली 2009 के नियम 97 के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में ₹3000/— तक के मूल्य के सामान की खरीद बिना कोटेशन के की जा सकती है बशर्ते कि पूरे वित्तीय वर्ष में बिना कोटेशन की कुल खरीद सम्मिलित रूप में ₹50000/— से अधिक न हो, जिस हेतु निमन प्रमाण पत्र आहरण एवं वितरण अधिकारी को देना होनाः —"I am personally satisfied that the goods purchased are of the requisitis qualitu and specification and have been purchased from a reliable supplier at a reasonable price."

जांच में यह पाया गया कि कॉलेज प्रशासन द्वारा उपरोक्त नियम की अनुपालना नहीं की गई। उदाहरण के लिये वाऊचर संख्या 5 (A) दिनांक 12.3.12 द्वारा ₹2721/— का भुगतान मै0 क्रियेटिव इन्डस्ट्रीज पालमपुर को उनके बिल नं0 1747 दिनांक 3.2.12 की एवज में

मोमेन्टो की खरीद हेतु मिश्रित निधि में से किया गया, परन्तु नियमानुसार न तो आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उपरोक्त प्रमाण पत्र दिया गया तथा न ही कोई ऐसा अभिलेख तैयार किया गया जिससे कि इस तथ्य का पता चल सके कि अमुक वित्तीय वर्ष में बिना कोटेशन के कुल कितने मूल्य के सामान की खरीद की गई है। अतः आवश्यक अभिलेख तैयार न करने व नियमों की पालना न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये।

18 महाविद्यालय में पत्रिका का न छपवाया जानाः–

अभिलेख की जॉच पर पाया गया कि महाविद्यालय में कभी भी पत्रिका नहीं छपवाई गई है, जबकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षा संहिता के उक्त निधि के नियमानुसार महाविद्यालय में पत्रिका का अनिवार्य रूप से छपवाया जाना अपेक्षित है जिससे उक्त छात्र निधि के उद्देश्यों की पूर्ति होती। अतः नियमों की अवहेलना करके महाविद्यालय में पत्रिका न छपवाये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये। भविष्य में प्रत्येक वर्ष पत्रिका का अनिवार्य रूप से छपवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाये ताकि छात्र इससे होने वाले लाभ से भी वंचित न हो। कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

19 स्टॉक रजिस्टरों के रख–रखाव बारेः–

निधियों से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों की जांच में यह पाया गया कि स्टॉक रजिस्टर के एक ही पृष्ठ पर विभिन्न वस्तुओं की प्रविष्टि की गई थी जबकि नियमानुसार खरीदी गई प्रत्येक वस्तु/मद के लिये स्टॉक रजिस्टर में अलग–2 पृष्ठ आंबटित किये जाने आपेक्षित है जिससे कि प्रत्येक वस्तु/मद के अन्तशेष का पता चल सके। उदाहरण के लिये स्पोर्टस स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ नं0 11 पर बॉलीवॉल, फुटवॉल, नेट इत्यादि की प्रविष्टि इकटठी ही की गई थी। अतः स्टॉक रजिस्टरों का रख–रखाव नियमानुसार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा खरीदी गई प्रत्येक वस्तु/मद के लिये स्टॉक रजिस्टर में अलग–2 पृष्ठ आंबटित करके संस्था स्त्तर पर स्टॉक की मात्रा को सही किया जाये व भविष्य म्रें भी स्टॉक रजिस्टरों का रख–रखाव नियमानुसार किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

20 **स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जानाः–**

अभिलेख की जॉच पर पाया गया कि महाविद्यालय में विभिन्न निधियों के स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना कभी नहीं की गई है जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियमावली के अन्तर्गत 15.17 के अनुसार स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना आपेक्षित था। अतः निमयों की अनुपालना न करने का कारण स्पष्ट किया जाये अविलम्ब प्रत्यक्ष सत्यापना करके भविष्य में वार्षिक सत्यापना सुनिश्चित करते हुये, की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

20 **अग्रिम रजिस्टर न लगाने बारेः–**

अभिलेख की जांच में यह पाया गया कि कॉलेज स्टॉफ को विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु अग्रिम राशियां दी गई थी परन्तु इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था जिसके अभाव में इस तथ्य का पता नहीं चलता कि अग्रिम राशि के प्रायोजन/उद्देश्य के पूर्ण हो जाने के उपरान्त अग्रिम राशि का समायोजन कर लिया गया था अथवा नहीं तथा आवश्यक अभिलेख के बिना अग्रिम राशियों के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अग्रिम राशियों के कुछ एक उदाहरण निम्न प्रकार से हैः–

वा0सं0 एवं दिनांक	जिसे अग्रिम राशि दी गई	राशि (₹)	उद्देश्य
4/11.2.09	श्री महेश चन्द (लाईब्रेरियन)	800	वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह
5/11.2.09	श्री मस्त राम (प्रो0 हिन्दी)	2000	–यथोपरि–
6/11.2.09	श्री रविन्द्र गिल (प्रो0–)	2500	–यथोपरि–
1/2.1.10	श्री कमल कुमार (N.S.S. संयोजक)	10000	एन0एस0एस0 हेतु
8/19.2.11	–यथोपरि–	700	वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह

अतः नियमानुसार आवश्यक अभिलेख तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व संस्था स्तर पर अग्रिम रजिस्टर तैयार किया जाये जिसमें गत वर्षों के दौरान कॉलेज स्टॉक व अन्य संस्थाओं (यदि हो) को दिये गये अग्रिम राशियों का पूर्ण विवरण दिया जाये तथा अग्रिम

राशियों के समायोजन की पुष्टि कर ली जाये व असमायोजित राशियों की वसूली हेतु नियमानुसार उचित कदम उठाये जाये।

22 <u>लघु आपत्ति विवरणीः–</u> यह अलग से जारी नहीं की गई है।

23 <u>निष्कर्षः–</u> लेखाओं के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)xi(ii) 497/2013 खण्ड–1 दिनांक, 4.12.2013,
शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत1. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, नौरा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें ।

2 प्रधान सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171002

3 निदेशक, शिक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171001.

4 श्री राजवीर सिंह, अ0अ0 द्वारा...

हस्ता/
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.